

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० 169/20 ता०रजु. 1-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 07-02-2020

सरकार

बनाम

विनेश पुत्र उशरव

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खैरुल्लाह गडामिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम खैरुल्लाह गडामिया के खसरा नम्बर 2132 रकवा 3.12 हैक्ट.

किस्म भूमि चारागाह पर सम्बत 2076 में श्री विनेश पुत्र उशरव, जाति-भार सि० खैरुल्लाह गडामिया तह० बयाना ने 0.32 हैक्ट अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2132 रकवा 0.32 हैक्ट. वाके ग्राम खैरुल्लाह गडामिया से बेदखल किया जाता है। लगान 5.12 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 256/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी / अवैध कब्जा / बेदखली बाबत हल्का पटवारी / गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



तहसीलदार
नायब
बयाना (भरतपुर)

इस बयाना का पत्र नाम
श. नं. 04 के पत्र नं. 11
दिनांक 24/2/20 को बयाना
केस नं. 256 केस नं. 2017-20
को जो मुद्रा है
बहुमील न्यायालय के कार्यालय
बहुमील न्यायालय